न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

1. अपील संख्या 34/18 निर्णय दिनांकः– 29-01-2025
(आरसीएमएस संख्या 2018/00312)

1. मोहनराम पुत्र श्री रामकरण जाति कुम्हार निवासी तोलियासर तहसील श्री डूंगरगढ जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. मघाराम पुत्र श्री भोमाराम जाति पुरोहित निवासी तोलियासर तहसील श्री डूंगरगढ जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, श्री डूंगरगढ।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 07–05–2018
उपखण्ड अधिकारी, श्री डूंगरगढ

उपस्थितः

1. श्री सत्यनारायण तिवाडी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नरेन्द्र सिंह राजपुरोहित, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ के आदेश दिनांक 07–05–2018 के विरुद्ध पेश की, जिसके द्वारा वादी/रेस्पोडेन्ट का वाद प्रकिया एवं कानून के विपरीत जाकर स्वीकार

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम तोलियासर के खसरा नम्बर 936/575 तादादी 7.97 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की कृषि भूमि है। उक्त वादगत भूमि के सींवजोड अपीलांट का खेत खसरा नम्बर 589 तादादी 7.61 हैक्टेयर स्थित है। अपीलांट की कृषि भूमि में जाने का एकमात्र रास्ता ग्राम तोलियासर से कुन्तासर जाने वाले कटानी मार्ग से निकल कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खेत से होकर अपीलांट के खेत में प्रवेश करता है। उक्त रास्ता काफी लम्बे अरसे से चला आ रहा है जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर दिया तो अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को दिया गया। जिस पर तहसीलदार श्रीडूंगरगढ ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा बंद रास्ते को खुलवाकर आवागमन चालू करवाया गया।

विद्वान अधिवक्ता ने आगे कथन किया कि उक्त बंद रास्ता खुलवाने से रोकने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक दावा बाबत चिर निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसके साथ में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को दिनांक 20–09–2016 को खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई उक्त अपील भी न्यायालय हाजा द्वारा खारिज फरमा दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे में दिनांक 28–02–2018 को तनकीयात कायम की गई। जिस पर आगामी पेशी दिनांक 28–03–2018 वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। मगर नियत दिनांक को पत्रावली को पेशी पर नहीं लिया जाकर एवं किसी प्रकार के कोई साक्ष्य लिए बगैर ही अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

तौर पर दिनांक 07–05–2018 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका में अंकित किया है कि अप्रार्थी खसरा नम्बर 589 ग्राम तोलियासर के सहारे रास्ता निकलता है इसलिए नवीन रास्ते हेतु अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 936/575 में से नवीन रास्ता कायम नहीं करे। उक्त अपीलाधीन आदेश ना तो निर्णय की परिभाषा में आता है ना ही किसी प्रकार का कोई स्पीकींग आदेश है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल रूप से विवाद रास्ते को लेकर था किसी प्रकार के टाइटल संबंधी विवाद विचाराधीन नहीं था।

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने वाद प्रकिया का दुरूपयोग करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बैजा फायदा पहुंचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश नियत दिनांक के विपरीत किसी अन्य तारीख पेशी पर एकतरफा तौर पर पारित किया है जिससे अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्राप्त नहीं हो सका एवं वाद प्रकिया के हिसाब से अदालत मातहत ने जो तनकियात कायम की गई थी उक्त तनकीयात पर साक्ष्य लिया जाकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना था मगर अधीनस्थ न्यायालय ने वाद प्रकिया का दुरूपयोग करते हुए जो आदेश परित किया है वो निरस्त योग्य होने से अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने पत्रावली पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पोडेन्ट के वाद पर पूर्ण प्रकिया अपनाते हुए एवं मौका देखकर आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत है। अपीलांट को अपनी कृषि भूमि पर आवगमन हेतु रास्ता बिन्दु संख्या सी से डी का रास्ता चालू है एवं अपीलांट अपनी भूमि पर आ जा सकता है। अपीलांट अपनी सुविधा के हिसाब से नया रास्ता बिन्दु संख्या ई से एफ तक कायम करवाना चाहता है। जिसका क्षेत्राधिकार तहसीलदार के पास नहीं है। तहसीलदार महोदय द्वारा जो रास्ता खुलवाया गया है उक्त आदेश की अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय के पास लम्बित है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आगे उन्होंने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अपनी खातेदारी भूमि की चिर निषेधाज्ञा हेतु वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिस पर अपीलांट/प्रतिवादी का जवाब आने के पश्चात अदालत मातहत ने वादी/रेस्पोडेन्ट की खातेदारी दर्ज भूमि बाबत चिर निषेधाज्ञा पारित की गई थी। अपीलांट येन केन प्रकेरण रेस्पोडेन्ट की भूमि में नया रास्ता कायम करवाना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नक्शे के अनुसार अपीलांट को अपनी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध होना दर्शाया गया है मगर अपीलांट सुविधा के लिए एवं दूरी से बचने हेतु अन्य रास्ते की मांग कर रहा है जिसकी कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निराधार होने के आधार पर खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रेस्पोडेन्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत दावा पेश किया। अदालत मातहत ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 07–05–2018 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट/वादी का दावा अदालत मातहत द्वारा स्वीकार किया गया है के विरुद्व अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलांट् का वादगत् भूमि से अपनी भूमि में जाने हेतु रास्ता कायम था जिसको रेस्पोडेन्ट द्वारा बंद किये जाने पर खुलवाया जाना था उसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पोडेन्ट का दावा स्वीकार किया जाकर वादगत भूमि में चिर निषेधाज्ञा पारित कर दी गई। जिससे अपीलांट को अपनी भूमि मे आवागमन हेतु समस्या होने पर सदागम से चले आ रहे रास्ते को राजस्व अमला पुनः चालू नहीं करवा पा रहा है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(3) हमनें अदालत मातहत की पत्रावली, अपीलाधीन निर्णय व प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी/रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा बाबत चिर निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्रतिवादी/अपीलांट ने जवाब पेश किया। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात् कायम की जाकर वादी की शहादत ली जानी थी। परन्तु परीक्षण न्यायालय ने ना ही साक्ष्य वादी करवाया और ना ही तनकीवार आक्षेपित आदेश पारित करवाया। परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनने का उल्लेख करते हुए दिनांक 07–05–2018 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया मगर अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में दिनांक 28–02–2018 को तनकी कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी आयन्दा दिनांक 28–03–2018 नियत की गई थी मगर दिनांक 28–03–2018 को किसी प्रकार की कार्यवाही का कोई विवरण अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और ना ही पूर्व नियत दिनांक को किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका अनुसार दिनांक 07–05–2018 को उभय पक्ष की उपस्थिति अंकित करते हुए निर्णय पारित किया गया है मगर आदेशिका में ऐसी कोई पेशी निर्धारित नही की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में तनकी के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की। परीक्षण न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अविवेकपूर्ण तथा वाद प्रक्रिया से असंगत होने के कारण पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07–05–2018 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट/प्रतिवादी को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करे हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 29-01-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर